



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 121]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 2, 2015/फाल्गुन 11, 1936

No. 121]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 2, 2015/PHALGUNA 11, 1936

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2015

सा.का.नि. 166(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और निम्नलिखित:—

- (i) दक्षिणी क्षेत्र, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, अनंतपुर, समूह 'ग' और समूह 'घ' भर्ती नियम, 1985, को जहां तक उनका संबंध भण्डारी के पद से है;
- (ii) उत्तरी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, हिसार (कृषि एवं सहकारिता विभाग) (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1989, को जहां तक उनका संबंध कार्यालय अधीक्षक, सहायक कार्यालय अधीक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष और निदेशक का वैयक्तिक सहायक के पदों से है;
- (iii) दक्षिणी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान, गार्लेदिन्ने, अनंतपुर (आंध्र प्रदेश) समूह 'ग' और समूह 'घ' भर्ती नियम, 1995, को जहां तक उनका संबंध पुस्तकालय सूचना सहायक, पद से है;
- (iv) केन्द्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान, बुदनी (कृषि एवं सहकारिता विभाग) समूह 'ग' और समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 2000, को जहां तक उनका संबंध सहायक कार्यालय अधीक्षक और आशुलिपिक ग्रेड-II के पदों से है;
- (v) दक्षिणी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान, गार्लेदिन्ने, अनंतपुर (आंध्र प्रदेश), (कृषि एवं सहकारिता विभाग) समूह 'ग' और समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 2000, को जहां तक उनका संबंध निदेशक का वैयक्तिक सहायक के पद से है;
- (vi) केन्द्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान, बुदनी, (कृषि एवं सहकारिता विभाग) समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2002, को जहां तक उनका संबंध कार्यालय अधीक्षक के पद से है;

- (vii) दक्षिणी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान, गार्लेदिन्ने, अनंतपुर (आंध्र प्रदेश), (कृषि एवं सहकारिता विभाग) समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद (कार्यालय अधीक्षक) भर्ती नियम, 2002;
- (viii) केन्द्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान, बुदनी, (कृषि एवं सहकारिता विभाग) समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2003;

को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय में कृषि एवं सहकारिता विभाग के फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थानों में, समूह 'ख' (अराजपत्रित), गैर-तकनीकी पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, समूह 'ख' (अराजपत्रित) गैर-तकनीकी पद भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, उनका वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अहर्ताएं, आदि.— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अहर्ताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वह होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह उस किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. कार्यालय अधीक्षक	8* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड- 2, 9300-34800 रुपये + ग्रेड वेतन 4200 रुपये	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिये दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अन्तरण द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अन्तरण किया जाएगा।

(11)

प्रोन्नति :

ऐसे लेखाकार जिन्होंने वेतन बैंड-1, 5200-20200 रुपये + ग्रेड वेतन 2800 रुपये श्रेणी में छः वर्ष की नियमित सेवा की हो। ऐसा न हो सकने पर ऐसे लेखाकार जिन्होंने वेतन बैंड-1, 5200-20200 रुपये + ग्रेड वेतन 2800 रुपये श्रेणी में लेखाकार के रूप में तथा वेतन बैंड-1, 5200-20200 रुपये + ग्रेड वेतन 2400 रुपये में उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में पद पर कुल दस वर्ष की सम्मिलित नियमित सेवा की हो। ऐसा न हो सकने पर वेतन बैंड-1, 5200-20200 रुपये + ग्रेड वेतन 2400 रुपये में ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक, जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो;

या

ऐसे ज्येष्ठ हिन्दी टंकक जिन्होंने वेतन बैंड-1, 5200-20200 रुपये + ग्रेड वेतन 2400 रुपये में श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो और केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ प्रदेश प्रशासन में स्थापन या लेखा में 2 से 4 सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।

टिप्पण: उच्च श्रेणी लिपिक और ज्येष्ठ हिन्दी टंकक की प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची अधिकारियों द्वारा उसी ग्रेड या पद पर निर्धारित अर्हक सेवा पूरी होने की प्रति निरग की तारीख से तैयार की जाएगी।

टिप्पण 1. जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2. प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से, जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति :

केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारी:

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं;

या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1, 5200-20200 रुपये + ग्रेड वेतन 2800 रुपये या समतुल्य पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की है;

या

(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1, 5200-20200 रुपये + ग्रेड वेतन 2400 रुपये या समतुल्य पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष सेवा की है;

और

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएं और अनुभव हो:-

अनिवार्य :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डिग्री;

(ii) प्रशासन और लेखा कार्य का एक वर्ष का अनुभव।

वांछनीय :

कम्प्यूटर एप्लीकेशन, डाटा प्रोसेसिंग तथा नेटवर्किंग में एक वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह फायदा केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।

(12)

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

- | | |
|--|------------|
| (1) निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान | — अध्यक्ष; |
| (2) अवर सचिव (यंत्रिकरण एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग | — सदस्य; |
| (3) प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालयाध्यक्ष, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान | — सदस्य. |

अधिकारी को प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. आशुलिपिक ग्रेड-1	5* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन बैंड- 2, 9300-34800 रुपये + ग्रेड वेतन 4200 रुपये।	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिये दो वर्ष	(i) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है। (ii) 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है

(11)
<p>प्रोन्नति :</p> <p>ऐसे आशुलिपिक ग्रेड II जिन्होंने वेतन बैंड-1, 5200-20200 रुपये + ग्रेड वेतन 2400 रुपये में श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p>टिप्पण 1. जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसे अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 2. प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से, जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) या आमेलन :</p> <p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या अर्द्ध-सरकारी या कानूनी संगठनों और स्वायत्त निकायों के अधीन ऐसे आशुलिपिक :</p> <p>(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1, 5200-20200 रुपये + ग्रेड वेतन 2800 रुपये या समतुल्य पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की है; या</p> <p>(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1, 5200-20200 रुपये + ग्रेड वेतन 2400 रुपये या समतुल्य पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष सेवा की है;</p> <p>टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>[प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।]</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।</p> <p>टिप्पण 3: केवल केन्द्रीय या राज्य सरकार के या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकारी ही आमेलन के लिए पात्र होंगे।</p>

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	अधिकारी को प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के आधार पर नियुक्ति या आमेलन के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
(1) निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान	- अध्यक्ष;
(2) अवर सचिव (यंत्रिकरण और प्रौद्योगिकी प्रभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग	- सदस्य;
(3) प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालयाध्यक्ष, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान	- सदस्य।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. पुस्तकालय और सूचना सहायक	2* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन बैंड - 2, 9300-34800 रुपये + ग्रेड वेतन 4200 रुपये।	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक न हो (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य: (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में बैचलर डिग्री; (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थानों के अधीन किसी पुस्तकालय में दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव। वांछनीय: मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा। टिप्पणी 1 : अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखाबद्ध किये जायें, अर्हताएं शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पणी 2 : अनुभव संबंधी अर्हताएं, उन कारणों के लिए जो लेखाबद्ध किये जायें, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिये दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं हैं। (प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- (1) निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष; (2) अवर सचिव (यंत्रिकरण एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग - सदस्य; (3) प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालयाध्यक्ष, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 13-4/2012-एम. एवं टी. (प्रशा.)]

बी. बी. भगत, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Agriculture and Cooperation)
NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2015

G.S.R. 166(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the:-

- (i) Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Anantpur, Group 'C' and Group 'D' Recruitment Rules, 1985, in so far as they relate to the post of Storekeeper;
- (ii) Northern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Hissar (Department of Agriculture and Cooperation) (Group 'C' and Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1989, in so far as they relate to the posts of Office Superintendent, Assistant Office Superintendent, Librarian and Personal Assistant to Director;
- (iii) Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Garladinne, Anantapur (Andhra Pradesh), Group 'C' and Group 'D' Recruitment Rules, 1995, in so far as they relate to the post of Library Information Assistant;
- (iv) Central Farm Machinery Training and Testing Institute, Budni (Department of Agriculture and Cooperation) Group 'C' and Group 'D' posts, Recruitment Rules, 2000, in so far as they relate to the posts of Assistant Office Superintendent and Stenographer Grade II;
- (v) Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Garladinne, Anantapur (Andhra Pradesh), (Department of Agriculture and Cooperation) Group 'C' & Group 'D' Posts Recruitment Rules, 2000 in so far as they relate to the post of Personal Assistant to Director;
- (vi) Central Farm Machinery Training and Testing Institute, Budni (Department of Agriculture and Cooperation) Group 'B' (Non-Gazetted) posts Recruitment Rules, 2002 in so far as they relate to the post of Office Superintendent;
- (vii) Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Anantapur (A.P.), (Department of Agriculture and Cooperation) Group 'B' (Non-Gazetted) Post (Office Superintendent) Recruitment Rules, 2002;
- (viii) Central Farm Machinery Training and Testing Institute, Budni (Department of Agriculture and Cooperation) Group 'B' (Non-Gazetted) posts Recruitment Rules, 2003,

except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'B' (Non-Gazetted) Non-Technical posts in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, Farm Machinery Training and Testing Institutes, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, Farm Machinery Training and Testing Institute, Group 'B' (Non-Gazetted) Non-Technical Posts Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification.—No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order, for reasons to be recorded in writing, in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. Office Superintendent.	8* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Ministerial.	Pay Band-2, Rs. 9300-34800/- plus grade pay of Rs. 4200/-.	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Two years for promotees.	By promotion, failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.

(11)

Promotion :

Accountant in pay band-1, Rs. 5200-20200/- with grade pay of Rs. 2800/- with six years of regular service in the grade failing which Accountant with ten years combined regular service as Accountant in pay band-1, Rs. 5200-20200/- with grade pay of Rs. 2800/- and Upper Division Clerk in pay band-1, Rs. 5200-20200/- with grade pay of Rs. 2400/- failing which Upper Division Clerk in Pay band-1, Rs. 5200-20200/- with grade pay of Rs. 2400/- with ten years regular service in the grade;

or

Senior Hindi Typist in pay band-1, Rs. 5200-20200/- with grade pay of Rs. 2400/- with ten years regular service in the grade and have successfully completed 2 to 4 weeks' training in Establishment or Accounts in Central or State Government or Union Territory Administration.

Note : Eligibility list for Upper Division Clerk and Senior Hindi Typist for promotion shall be prepared with respect to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade or post.

Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission's recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

Deputation :

Officers of Central or State Government or Union Territory Administration;

(A) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band-1, Rs. 5200-20200/- with grade pay of Rs. 2800/- or equivalent in the parent cadre or department; or

(iii) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band-1, Rs. 5200-20200/- with grade pay of Rs. 2400/- or equivalent in the parent cadre or department;

and

(B) possessing the following educational qualifications and experience ;

Essential :

(i) Degree in any discipline from a recognised University ;

(ii) One year experience in administration and accounts.

Desirable:

One year experience of Computer application, Data processing and Net Working.

Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

Note 2: For the purpose of appointment on deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee [for considering promotion] consisting of:-	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation.
(1) Director, Farm Machinery Testing and Training Institute - Chairman;	
(2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), - Member; Department of Agriculture and Cooperation	
(3) Administrative Officer or Head of Office, Farm Machinery Testing and Training Institute - Member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Stenographer Grade I.	5* (2015) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Ministerial.	Pay band-2, Rs. 9300-34800/- plus grade pay of Rs. 4200/-.	Selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Two years for promotees.	(i) 50% by promotion, failing which by deputation including short term contract; (ii) 50% by deputation (including short-term contract) or absorption.

(11)
<p>Promotion: Stenographers Grade II in the pay band-1, Rs. 5200-20200/- with grade pay of Rs. 2400/- with ten years regular service in the grade.</p> <p>Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission's recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p> <p>Deputation (Including short-term contract) or Absorption: Officers holding the post of Stenographer under the Central or State Governments or Union Territory Administrations or Public Sector Undertakings or Universities or Recognised Research Institutions or Semi Government or Autonomous Bodies or Statutory organisations –</p> <p>(i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band-1, Rs. 5200-20200/- with grade pay of Rs. 2800/- or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with ten years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band-1, Rs. 5200-20200/- with grade pay of Rs. 2400/- or equivalent in the parent cadre or department.</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>(Period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).</p>

Note 2: For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

Note 3 : Officers of only the Central or State Government or Union Territory Administration shall be eligible for absorption.

(12)	(13)
<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</p> <p>(1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman;</p> <p>(2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation - Member;</p> <p>(3) Administrative Officer or Head of Office, Farm Machinery Training and Testing Institute - Member.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short term contract) or absorption.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Library and Information Assistant.	2* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-2, Rs. 9300-34800/- plus grade pay of Rs. 4200/-.	Not applicable.	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Essential:</p> <p>(i) Bachelors Degree in Library Science or Library and Information Science of a recognised University or Institute;</p> <p>(ii) Two years professional experience in a Library under Central or State Government or Autonomous or Statutory organisation or Public Sector Undertaking or University or Recognised Research or Educational Institution.</p> <p>Desirable:</p> <p>Diploma in Computer Application from a recognised University or Institute.</p> <p>Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2 : The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in</p>	Not applicable.	Two years for direct recruits.	<p>By direct recruitment.</p> <p>Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department and possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p>(Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).</p>

the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			
---	--	--	--

(11)	(12)	(13)
Not applicable.	<p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <p>(1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman;</p> <p>(2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation - Member;</p> <p>(3) Administrative Officer or Head of the Office, Farm Machinery Training and Testing Institute - Member.</p>	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. 13-4/2012-M&T(Admn)]

B. B. BHAGAT, Under Secy.